रजिस्ट्री सं० डी-(डी)-72 REGISTERED No. D-(D)-72

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उपखण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 19] नई दिल्ली, मंगलवार, जनवरी 28, 1975/माघ 8, 1896
No. 19] NEW DELHI, TUESDAY, JANUARY 28, 1975/MAGHA 8, 1896

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके।
Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

CABINET SECRETARIAT

(Department of Personnel and Administrative Reforms)

NOTIFICATION

New Delhi, the 28th January 1975

G.S.R. 20(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 3 of the All India Services Act, 1951 (61 of 1951), the Central Government, after consultation with the Governments of the States, hereby makes the following rules further to amend the All India Services (Dearness Allowance) Rules, 1972, namely:—

1. (1) These rules may be called the All India Services (Dearness Allowance) Amendment Rules, 1975.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. In the All India Services (Dearness Allowance) Rules, 1972, for rule 3, the following rule shall be substituted, namely:—

"3. **Regulation of dearness allowance.**—Every member of the Service and every officer, whose initial pay is fixed in accordance with sub-rule (5), or sub-rule (6-A), of rule 4 of the Indian Administrative Service (Pay) Rules, 1954 or sub-rule (5) of rule 4 of the Indian Police Service (Pay) Rules, 1954 or sub-rule (6) of rule 4 of the Indian Forest Service (Pay) Rules, 1968, shall be entitled to draw dearness allowance at such rates, and subject to such conditions, as may be specified by the Central Government, from time to time, in respect of the officers of Central Civil Services, Class I".

[No. 22/1/74-AIS(II)]

S. HABEEBULLAH, Under Secy.

मंत्रिमण्डल सचिवालय

(कार्मिक और प्रशासनिक सुधार विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 28 जनवरी, 1975

सा० का० नि० 20 (अ).—अखिल भारतीय सेवा अधिनियम, 1951 (1951 का 61) की धारा 3 की उप धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार राज्य सरकारों से परामर्श करने के पश्चात, अखिल भारतीय सेवा (महंगाई भत्ता) नियम, 1972 में और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है अर्थात् :—

1. (1) इन नियमों का नाम अखिल भारतीय सेवा (महंगाई भत्ता) संशोधन नियम, 1975 है ।

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे ।

2. अखिल भारतीय सेवा (महंगाई भत्ता) नियम 1972 में नियम 3 के स्थान पर निम्नलिखित नियम रखा जाएगा अर्थात् :—

"3. **महंगाई भत्ते का विनियमन.**—सेवा का प्रत्येक सदस्य और प्रत्येक अधिकारी, जिसका आरम्भिक वेतन भारतीय प्रशासनिक सेवा (वेतन) नियम, 1954 के नियम 4 के उप नियम (5) या उप-नियम (6-क) या भारतीय पुलिस सेवा (वेतन) नियम, 1954 के नियम 4 के उप-नियम (5) या भारतीय वन सेवा (वेतन) नियम, 1968 के नियम 4 के उप नियम (6) के अनुसार नियत किया गया है, ऐसी दरों पर और ऐसी शर्तों के अधीन महंगाई भत्ता लेने का हकदार होगा, जो केन्द्रीय सिविल सेवा वर्ग 1 के अधिकारियों की बाबत समय-समय पर केन्द्रीय सरकार द्वारा विनिर्दिष्ट की जाएं ।"

[सं० 22/1/74-अ० भा० से० (II)]

एस० हबीबुल्लाह, अवर सचिव ।

PRINTED BY THE MANAGER, GOVERNMENT OF INDIA PRESS MINTO ROAD, NEW DELHI AND PUBLISHED BY THE CONTROLLER OF PUBLICATIONS, DELHI, 1975